# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

## पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

**राजस्व वाद संख्या– 123/2019**

1– रामकिशोर पुत्र नरसाराम उर्फ नरसीराम
2– प्रेमाराम पुत्र नरसाराम उर्फ नरसीराम जातियान जाट निवासीगण मेरवास तहसील जायल जिला नागौर।

.................वादीगण

बनाम

1– नरसाराम उर्फ नरसीराम पुत्र अननाराम
2– बचनाराम पुत्र नरसाराम उर्फ नरसीराम
3– भंवरी पुत्री नरसाराम उर्फ नरसीराम
4– रूकमा देवी पत्नी स्व. रूपाराम
5– लोकेश पुत्र रूपाराम
6– सुनिल पुत्र रूपाराम
7– निकिता पुत्री रूपाराम नाबालिक संरक्षक वालिया माता रूकमा देवी पत्नी स्व. रूपाराम जातियान जाट निवासी मेरवास तहसील जायल जिला नागौर।
8– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

............ प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**उपस्थित अधिवक्तागण:–**

1– श्री गोविन्दराम ढाका वादीगण की और से।
2– श्री रामप्रकाश बैदा प्रतिवादी स. 1 से 7 की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.08.19

वादी वादीगण का सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगन व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादी के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा मेरवास के खेत खसरा नम्बर 104 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा, खेत खसरा न. 139 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा नं. 142 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खेत खसरा न. 143 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा, खेत खसरा न. 193 रकबा 10 बीघा, कुल खेताय 05 कुल रकबा 70.03 बीघा रहती चली आई है। प्रतिवादीगण सं 01 के एक पुत्र व वादीगण के सगे भाई रूपाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके पीछे वारीसान विधिक उतराधिकारीगण प्रतिवादी सं 04 से 07 तक है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बटवाडा सम्वत 2074 की आखातीज को कर लिया है। बटवाडा स्कीम निम्न प्रकार है–

1. यह है कि वादी सं 01 रामकिशोर के हक बट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा मेरवास के खेत खसरा न. 139 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा मे से 11 बीघा 02 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया।
2. वादी सं 02 प्रेमाराम के हक बंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा मेरवास के खेत खसरा नं. 142 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा मे से 11 बीघा नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा नं. 104 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा मे से 10 बीघा पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी सं. 01 नरसाराम के हकबट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा मेरवास के खेत खसरा नं. 139 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा मे से 03 बीघा नक्शा अनुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी सं. 02 बचनाराम के हकबट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा मेरवास के खेत खसरा न. 193 रकबा 10 बीघा पूरा खेत रखा गया है।
5. प्रतिवादी सं. 04 से 07 रूकमा देवी, लोकेश, सुनिल, निकिता के शामिलाती हकबट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा मेरवास के खेत खसरा न. 104 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा में से 12 बीघा 07

बिस्वा पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार एवं खेत खसरा नं. 143 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा में से 12 बीघा 04 बिस्वा नजरी नक्शानुसार रखा गया है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 03 के उप पैरा क, ख, ग, घ व ङ के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 07 की ओर से वकील श्री रामप्रकाश बैदा ने ईकरारी जवाब मय वकालतनामा पेश किया व इनकी ओर से पहचान की गयी।

वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 से 07 के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवादक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओ वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र मे अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में में सहमति होने के कारण वाद के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

1. यह है कि वादी सं. 01 रामकिशोर के हक बंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा मेरवास के खेत खसरा नं. 139 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा मे से 11 बीघा 02 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया।
2. वादी सं. 02 प्रेमाराम के हक बंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा मेरवास के खेत खसरा नं. 142 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा मे से 11 बीघा नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा नं. 104 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा में से 10 बीघा पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी सं. 01 नरसाराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा मेरवास के खेत खसरा नं. 139 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा मे से 03 बीघा नक्शा अनुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी सं. 02 वचनाराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा मेरवास के खेत खसरा नं. 193 रकबा 10 बीघा पूरा खेत रखा गया है।
5. प्रतिवादी सं. 04 से 07 रूकमा देवी, लोकेश, सुनिल, निकिता के शामिलाती हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा मेरवास के खेत खसरा नं. 104 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा में से 12 बीघा 07 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार एवं खेत खसरा नं. 143 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा में से 12 बीघा 04 बिस्वा नजरी नक्शानुसार रखा गया है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल

निर्णय आज दिनांक 28-08-19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल

Scanned by CamScanner